पत्रांक 15/ए3–35/2022
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक– 2022

विषयः– **सुमित्रा महिला महाविद्यालय, डुमरॉव, बक्सर का संबंधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–C/65/Estab/2022 दिनांक–14.01.2022 द्वारा सुमित्रा महिला महाविद्यालय, डुमरॉव, बक्सर में स्नातक वाणिज्य संकाय के पास/प्रतिष्ठा स्तर के विषय में सत्र 2022–25 से स्थायी संबंधन हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है। समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21(2)(d) के आलोक में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–1098 दिनांक 19.04.1986 यथा संशोधित पत्रांक–3196 दिनांक 14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक 25.10.2019 में निहित प्रावधानो के अधीन सुमित्रा महिला महाविद्यालय, डुमरॉव, बक्सर को स्नातक वाणिज्य संकाय के प्रतिष्ठा स्तर के प्रस्तावित विषयों में निम्न प्रकार संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र०	संकाय	विषय	संबंधन की अवधि
1	वाणिज्य (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर)	वाणिज्य	सत्र 2022–23 से स्थायी संबंधन।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15/ए3–35/2022 – 988 पटना, दिनांक 28.04.2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, सुमित्रा महिला महाविद्यालय, डुमरॉव, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव